HAPUR POLICE

प्रेस नोट

थाना - हापुड देहात **दिनांक 14.10.2025**

थाना हापुड देहात पुलिस ने अवैध पटाखे बनाने/बेचने वाले एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 20 कार्टून अवैध पटाखे (कीमत करीब 06 लाख रुपये) बरामद ।

कार्यवाहीः-

हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं पटाखे/विस्फोटक पदार्थ बेचने/भण्डारण करने वालों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना हापुड देहात पुलिस द्वारा अवैध पटाखे बनाने/बेचने वाले एक अभियुक्त को नवज्योति कालोनी से गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 20 कार्टून अवैध पटाखे बरामद हुए हैं ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना हापुड देहात पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

उमेश चन्द्र पुत्र किशन चन्द्र निवासी नवज्योति कालोनी थाना हापुड देहात जनपद हापुड।

बरामदगी का विवरणः-

20 कार्टून पटाखे (कीमत करीब 06 लाख रुपये) ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. व0उ0नि0 श्री परवेज चौधरी थाना हापुड देहात जनपद हापुड।
2. उ0नि0 श्री रामू कुमार थाना हापुड देहात जनपद हापुड ।
3. उ0नि0 श्री मनीष श्यौरान थाना हापुड देहात जनपद हापुड ।
4. उ0नि0 श्री हेमन्त कुमार थाना हापुड देहात जनपद हापुड ।
5. उ0नि0 श्री नकुल कुमार थाना हापुड देहात जनपद हापुड ।
6. है0का0 235 संजीव कुमार थाना हापुड देहात जनपद हापुड ।
7. का0 953 जोरावर सिंह थाना हापुड देहात जनपद हापुड़ ।

हापुड़ पुलिस द्वारा टीम गठित कर अवैध पटाखों का भण्डारण/बिक्री करने वालों की धरपकड़ की जा रही है, ताकि जनपद में कोई अप्रिय घटना घटित न होने पाये तथा हापुड़ पुलिस द्वारा अबतक अवैध पटाखे/विस्फोटक पदार्थ बेचने/भण्डारण करने वाले 08 अभियुक्तों को करीब 23 लाख रुपये के पटाखों सहित गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा चुकी है, जिनका विवरण निम्नवत् है।

थाना	गिरफ्तार अभियुक्तगण	बरामदगी (कार्टून अवैध पटाखे)	कीमत
बहादुरगढ़	01	30	6-7 लाख
हापुड़ नगर	02	50	2 लाख
बाबूगढ़	01	14	5 लाख
पिलखुवा	01	02	1 लाख
पिलखुवा	02	06	2 लाख
हापुड़ देहात	01	20	6 लाख

नोटः- हापुड़ पुलिस द्वारा जनपदवासियों से अपील की जाती है कि यदि कोई व्यक्ति अवैध पटाखों की बिक्री/भण्डारण करते हुए दिखाई देता है तो एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देते हुए तत्समय उसकी सूचना स्थानीय पुलिस या यूपी-112 पर दें, सूचना देने वाले का नाम व पता गोपनीय रखा जायेगा।